प्रेस नोट दिनाँक-29.03.2023

(1). आज दिनाँक-29.03.2023 को पुलिस वेलफेयर एसोशिएसन वामा सारथी के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह की उपस्थिति में पुलिस लाइन में महिला पुलिसकर्मियों की हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान महिला आरक्षी गुड़िया थाना बहिलपुरवा, द्वितीय स्थान-करूणा सेंगर थाना कोतवाली कर्वी, तृतीय स्थान- नीलम यादव थाना मानिकपुर ने प्राप्त किया गया। प्रतिसार निरीक्षक द्वारा महिला पुलिसकर्मियों को पुरस्कार वितरित कर उत्साहवर्धन किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन तथा उनकी टीम द्वारा मु0सं0 35/9/14 धारा 379,411 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त केशन उर्फ रामकेशन पुत्र सुकरूवा निवासी चंदई मजरा तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. आरक्षी इंदल कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थानाध्यक्ष सरधुवा तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 30/2023 धारा 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के वाँछित अभियुक्त उदला उर्फ प्रधान उर्फ ब्रजेश पुत्र अमृतलाल निवासी जमौली मजरा भदेदू थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थानाध्यक्ष सरधुवा
2. आरक्षी अमित कुमार सिंह

(4). माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मॉनीटरिंग सेल एवं प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ श्री राजीव कुमार सिंह एवं आरक्षी पैरोकार आरक्षी रविप्रकाश द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजक अधिकारी श्री कपिल त्रिपाठी द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 मऊ द्वारा थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 87/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त विनय कुमार शुक्ला थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 02 वर्ष के कारावास व 2000 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). आज दिनाँक-29.03.2023 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अनुज कुमार मिश्रा की उपस्थिति में कोतवाली कर्वी में रामनवमी आयोजकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गयी। गोष्ठी में महोदय द्वारा रामनवमी के

जुलूस के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। त्यौहार को शातिपूर्ण तरीके से आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गयी।

गोष्ठी अतिरिक्त निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री प्रभूनाथ यादव एवं रामनवमी आयोजकगण उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध गांजा की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री भास्कर मिश्र के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 थाना राजापुर श्री रामवीर सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त गोलू उर्फ लंगर पुत्र बब्बू सोनकर निवासी हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 किलो 600 ग्राम सूखा गांजा तथा गांजा बिक्री के 600 रूपये के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

01 किलो 600 ग्राम सूखा गांजा

600 रूपया (गांजा बिक्री के)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.वरि0उ0नि0 थाना राजापुर श्री रामवीर सिंह

2. मुख्य आरक्षी संतोष कुमार

3. आरक्षी उमेन्द्र त्रिपाठी

(7). माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु *__पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा__* दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मॉनीटरिंग सेल एवं प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री गुलाबचन्द्र सोनकर एवं आरक्षी पैरोकार महेश्वरीदीन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश डकैती जनपद चित्रकूट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 533/2008 धारा 364 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लवकुश यादव पुत्र मंगल यादव निवासी तेरा थाना कमासिन जनपद बाँदा को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकपुर श्री वीरप्रताप सिंह एवं आरक्षी पैरोकार वेदान्त पाण्डेय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी बहस एवं प्रस्तुति के फलस्वरूप माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश डकैती जनपद चित्रकूट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 966/2008 धारा 307 भादवि0 व 12/14 डी0ए0ए0 एक्ट के आरोपी अभियुक्त लवकुश यादव पुत्र मंगल यादव निवासी तेरा थाना कमासिन जनपद बाँदा को 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण-

प्रथम घटना दिनाँक-13.12.2008 को समय लगभग रात्रि 10 बजे वादी मुकदमा सुंदरलाल व उसका छोटा भाई रामलखन डेरा विलोखर पुरवा में लेटे हुए थे कि कुछ बदमाश आए एवं रामलखन को पकड़ कर ले गये वादी ने देखा कि असला लिए थे वन मुंह बांधे हुए थे एवं कपडे से छिपाये हुए थे वादी के भाई को दिशा दक्षिण की ओर ले गये थे

तथा वही लोग गांव के ही कल्लू पुत्र विश्राम को भी ले गये। इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में धारा 364 भादवि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

द्वितीय घटना- दिनाँक-19.12.2008 को थाना मानिकपुर अन्तर्गत बाबूलाल निवासी कोड़रिया के अपहरण की घटना के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 965/2008 के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर एवं थाना मारकुण्डी की संयुक्त पुलिस टीम की पंचपेडिया बगीचा की ओर से मेड के पास अपहरणकर्ताओं एवं पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 966/2008 धारा 307 भादवि0 व 12/14 डी0ए0ए0 एक्ट पंजीकृत किया गया था।